राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक : प.8(10)वित्त/नियम/2009 जयपुर, दिनांक : 30 जनवरी, 2017

आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष डीबी सिविल रिट (पी.आई.एल.) सं. 20183/2013 योगेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर हुई है, जिसमें राज्य सेवा में सेवारत पति–पत्नी दोनों एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हों, उन्हें दोहरा मकान किराया भत्ता दिया जाने को चुनौती दी है।

उक्त जन हित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5–12–2016 को निम्न आदेश पारित किये हैं :

> "It is made clear that husband or wife either of them will make an option. If the husband is on high side, he will get HRA and if wife will be on higher side then she will be entitled to receive the same.
> Admit. Notice after admission is not required to be issued as the respondents are duly represented.
> Petition is fixed for final hearing on 31st July, 2017. No payment will be made by the State Government from 1st January, 2017."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की अनुपालना में राजकीय सेवा में सेवारत पति–पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। इस सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के Annexure-B के प्रमाण पत्र के साथ–साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में प्राप्त किया जावे।

यदि माह जनवरी 2017 के वेतन में दोहरे मकान किराया भत्ता का आहरण किसी राजसेवक द्वारा कर लिया है तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन में एक मुश्त किया जावे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5–12–2016 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान
8. समस्त कोषाधिकारी
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव

(RSR - 3|2013).

प्रारूप घोषणा पत्र

मैं ..... घोषणा करता हूं / करती हूं कि :

मैं ..... एवं मेरा / मेरी पति / पत्नी ..... राजकीय सेवा में एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं एवं एक ही मकान में रहते हैं। क्योंकि मेरा मकान किराया भत्ता मेरे पति / पत्नी से अधिक / कम है, अतः मकान किराया भत्ता का भुगतान मेरे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है/ नहीं प्राप्त किया जा रहा है।

अथवा

मेरे पति / पत्नी राजकीय सेवा में हैं परन्तु एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित नहीं हैं।

अथवा

मेरे पति/पत्नी राजकीय सेवा में नहीं है।

राजसेवक के हस्ताक्षर